


HEALTH CENTER

24.0 M WIDE ROAD


24.0 M WIDE ROAD

24.0 M WIDE ROAD

OTHERS LAND



RAIN WATER HARVESTING



This drawing is a "COPYRIGHT" contents of this drawing or part thereof may not be used or reproduced without the permission of the Architect

NORTH

PROJECT

COMPOUNDING & PROPOSED GROUP HOUSING-3 AT KHASRA NO 153(P), 154 (P), 158(P), 159, 1609P), 157(G.S) IN OMAXE INTEGRATED TOWNSHIP AT SULTANPUR ROAD, LUCKNOW (U.P.)

पत्र सं. ४-२०१०/१३-१५ दि. ११-१०-१७ की शर्तों के अनुरूप अनुरोधित किया गया।

आचार्य कुमार यादव
अभिनेता
लखनऊ

मुख्य अभियंता
लखनऊ

क्र.	विवरण
1	भू-स्वामित्व तथा भूमि वाद-विवाद के सम्बन्ध में प्राधिकरण की कोई विमर्शकारी नहीं होगी। विकासकर्ता केवल उसी भूमि पर विकास/निर्माण कार्य कर सकेगा, जिस भूमि का स्वामित्व व कब्जा विकासकर्ता कम्पनी के नाम है। भूस्वामि के जिन सूचकां नम्बर का सम्बन्धित ग्राम सभा की भूमि व अन्य की भूमि होने के कारण विकासकर्ता के पक्ष में नहीं है, उस नाम पर विकासकर्ता जब तक कोई निर्माण या विकास कार्य नहीं करेगा जब तक कि उस नाम का पुनर्निर्माण/अभियोजन/भूमि काय की कार्यवाही विकासकर्ता के पक्ष में न हो जाये।
2	सामान्य शासनादेश के अन्तर्गत लैंड स्वीयिंग प्लान के अनुसार सुसरोपण अभियान होगा।
3	शासनादेश के अनुसार स्थल पर भूकम्प विरोधी निर्माण किया जाना सुनिश्चित करना होगा।
4	लैंड स्वीयिंग प्लान व सर्वेक्षण प्लान के अनुसार स्वतः पर भी विकास कार्य पूर्ण करने होंगे।
5	मुख्य अग्नि शमन अधिकारी के निर्देशों का पालन करना होगा।
6	पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
7	रेगुलटर हाईरिस्टम एवं सोलर जेटर सिस्टम का स्थल पर अधिष्ठापन शासनादेश के अनुसार पूर्ण करना होगा।
8	अपार्टमेंट एक्ट-२०१०, लेबर एक्ट का अनुपालन एवं निर्माण लागत का १ प्रतिशत लेबर सेस नियमानुसार जमा करना होगा।
9	स्थल पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों हेतु रैम्य का निर्माण एवं ब्यारोहेड सुविधाओं का विकास करना होगा।
10	स्थल पर मानचित्र स्वीकृत सम्बन्धी सुचनाएँ लगाना होगा।
11	यदि कोई वेनदारी विवाद है तो प्राधिकरण द्वारा मीने जाने पर अतिरिक्त जमा करना होगा।
12	यदि अधिक में रूरी कोई बात प्रकट में आती है कि विकासकर्ता द्वारा कोई त्रुटि घुप कर मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त की गई है अथवा किसी अधिकृत का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।
13	मैकानिक्ज प्लानिंग हेतु पूर्ण स्वीकृत मानचित्र के समय प्रस्तुत किए गए प्लान की अंतिम स्थिति सम्बन्धी अन्तर्गत पढ़ना कर सशोचित बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी।



DRAWING TITLE

SUBMISSION DRAWING (SERVICES PLAN)

ARCHITECT

SCALE 1:250 **DATE** SEP-2017

यह मानचित्र लखनऊ महायोजना 2031 तथा भवन उपविधि 2008 तथा सम्बन्ध शासनादेशों के अनुरूप तैयार किया गया है।

CLIENT/ OWNERS

OMAXE
Turning dreams into reality
OMAXE LTD
CYBER TOWER, IIND FLOOR, TC-34/2
VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR
LUCKNOW-226001
CALL-(0522)-4913000,4000173

ARCHITECT'S SIGNATURES **OWNER'S SIGNATURES**

DRAWING NUMBER- INT.A.KO/GH3/SUB- 3/12